[rkjh[k gqDe	gqDe ;k dk;Zokgh e; bfuf'k;Yl tt	uEcj o rkjh[k vgdke tks bl gqDe dh rkehy esa tkjh gq,
	खण्डपीठ डॉ. आर0वेंकटेश्वरन, IAS अध्यक्ष श्री महेन्द्र कुमार पारख, सदस्य उपस्थितः– श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी। श्री वी0एस0राठौड़, अधिवक्ता प्रत्यर्थी। –– निर्णय दिनांकः..... यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मु0 जोधपुर द्वारा अपील सं0 115/2001 में पारित किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 31–07–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 से 7 (वारिसान) ने एक राजस्व वाद अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत सहायक कलक्टर मुख्यालय, बाड़मेर के न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी एवं तरतीबी प्रत्यर्थीगण सं0 8 से 24 के विरूद्ध विवादित आराजी बाबत् पेश किया, जिसे विचारण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी सं0 1 से 5 जो कि वादी सनू के सगे भाई थे, ने इकबाली जवाब दावा पेश किया व अपीलार्थी/प्रतिवादी ने भी जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों से इन्कार किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की। बाद साक्ष्य व सुनवाई विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24–11–2001 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मु0 जोधपुर के न्यायालय में पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–07–2002 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।	

[rkjh[k gqDe	gqDe ;k dk;Zokgh e; bfuf'k;Yl tt	uEcj o rkjh[k vgdke tks bl gqDe dh rkehy esa tkjh gq,
	योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादी ने वाद वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए पेश किया व सही तथ्यों की जानकारी नहीं दी। ऐसी स्थिति में वाद खारिज किए जाने योग्य था किन्तु विचारण न्यायालय ने वाद को प्राथमिक डिक्री किया अर्थात विचारण न्यायालय ने अपने क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय को प्रथम अपील स्वीकार करनी चाहिए थी। उनका तर्क था कि वाद के मद सं0 2 में विवादित आराजी वक्त भू प्रबंध वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज हेमा, भला एवं मुकना के नाम खातेदारी में दर्ज किए जाने का जिक्र किया है किन्तु वादी सनू का नाम जमाबंदी में किस प्रकार दर्ज हुआ, यह अपने वाद में कथन नहीं किया व न स्पष्टीकरण दिया। वादी सनू, भला का लड़का नहीं था बल्कि मुकना का लड़का था। अपीलार्थी ने अपने जवाबदावा में कथन किया कि सनू न तो भला का लड़का है और न भला द्वारा गोद लिया गया। ऐसी स्थिति में भला के स्थान पर सनू का नाम इन्द्राज कर दिया गया, वह गलत है। जमाबंदी में संदिग्धता है, ऐसे रिकार्ड ऑफ राईट्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी ने जमाबंदी के इन्द्राज को गलत साबित किया, इसके बावजूद भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रत्यर्थी/वादी का वाद डिक्री किया, जिसे उचित व विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उनका यह भी तर्क था कि विचारण न्यायालय ने कुल 5 तनकियात कायम की किन्तु तनकी सं0 1 पर ही अपना निर्णय पारित किया एवं निर्णय देते हुए प्रत्यर्थी/वादी का वाद डिक्री किया। तनकी सं0 1 का निर्णय तत्समय की जमाबंदी के आधार पर था, जिसको अपीलार्थी ने साबित कर दिया जबकि तनकी सं0 1 के निर्णय से वाद डिक्री नहीं किया जा सकता था तथा अन्य तनकियात पर भी निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री आदेश 20 नियम 4 (2) व आदेश 20 नियम 5 व आदेश 14 नियम 2 के विपरीत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय द्वारा प्रथम अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय को वाद वापस निर्णय हेतु लौटाना चाहिए था। उनका यह भी तर्क था कि पक्षकारान के मध्य कुल किलाकर भला के 1/3 हिस्से का विवाद रहा है। वाद पेश किए जाने की दिनांक को भला की बेवा मु0 धाई मौजूद थी अर्थात उसके होते हुए भला की	

[rkjh[k gqDe	gqDe ;k dk;Zokgh e; bfuf'k;Yl tt	uEcj o rkjh[k vgdke tks bl gqDe dh rkehy esa tkjh gq,
	भूमि बाबत् मुकना या हेमा के कोई भी वारिसान न तो उत्तराधिकारी हो सकते थे और न वाद ला सकते थे। मु0 धाई को पक्षकार नहीं बनाए जाने से वाद चलने योग्य नहीं था। उनका यह भी तर्क था कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश 41 नियम 33 को ध्यान में रखते हुए वाद व अपील को निर्णित करना चाहिए था। उनका यह भी तर्क था कि वादी को स्वंय अपना वाद सिद्ध करना था। प्रत्यर्थी/वादी द्वारा शहादत वाद डिक्री करने हेतु पेश की गई वह पर्याप्त नहीं थी, ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण है। अंत में उन्होंने निवेदन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री न्याय, नियम व अभिलेख के विपरीत है, अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर उन्हें निरस्त किया जावें। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने कथनो के पक्ष में निम्नलिखित उद्धरण पेश किये :– 1. 2012(1) RLW (Raj) page 234 2. 2019(2) RRT page 1120 योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि वादी सनू के नाम खातिदारी करने के संबंध में प्रथम विचारण न्यायालय में मु0 घाई ने गोद आना मानते हुए उसके पक्ष में कथन किया है। प्रथम न्यायालय ने तनकी संख्या 1 पर विस्तार से विवेचन करते हुए निर्णय किया है तथा तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के पक्ष में हो जाने से अन्य तनकी संख्या 2 से 5 पर पृथक से विवेचन की आवश्यकता नहीं माना तथा तनकी संख्या 2 से 5 भी वादी के पक्ष में निर्णित की। अप्रार्थी का यह भी तर्क है कि मूल वाद के प्रत्यर्थी संख्या 6 से 10 व 16 के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतिवादीगण ने भी वादी के पक्ष में अपने कथन किये है। योग्य अधिवक्ता प्रत्थर्थी ने यह तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री उचित एवं विधिसम्मत है तथा उनके निर्णय समवर्ती है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।	

[rkjh[k gqDe	gqDe ;k dk;Zokgh e; bfuf'k;Yl tt	uEcj o rkjh[k vgdke tks bl gqDe dh rkehy esa tkjh gq,
	प्रश्नगत प्रकरण में हमारे समक्ष निर्णय का मुख्य बिन्दू यह है कि क्या अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी का वाद डिक्री करने में किसी प्रकार की अनियमितता की है। प्रकरण के तथ्यो से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा विभाजन कर वाद राजस्व अभिलेख में अंकित अपने हिस्से को प्राप्त करने हेतु पेश किया गया है। हमारी सुविचारित राय में अधिनियम की धारा 53 के अन्तगर्घ्त राजस्व अभिलेख में अंकित हिस्से के अनुसार विभाजन की घोषणा किया लाना विधिक रूप से उचित है। हम अधिवक्ता अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि विभाजन के वाद में किसी अभिलिखित खातेदार के अधिकारों को जवाबदावे के आधार पर निरस्त किया जा सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अभिलेख के आधार पर जो डिक्री पारित की है वह पूर्णतया उचित है। अपीलार्थी यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि विभाजन की डिक्री अभिलिखित खातेदारों के हिस्सो के विपरीत की गई है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम इस द्वितीय अपील में कोई सार नहीं पाते है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबंध अधिकारी एवं राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर–जैसलमेर) मु0 जोधपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–07–2002 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (श्री महेन्द्र कुमार पारख) सदस्य (डॉ. आर0वेंकटेश्वरन) IAS अध्यक्ष	